न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक – रीडर/2018/ 1152 दिनांक 24/5/18

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन / सेड़वा

विषय :– राजस्व अपील सं. 57/11 अनवान पनाराम बनाम ग्राम पंचायत गौहड़ का तला जरिये सरपंच वगैरा में न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.05. 2018 की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन अपील सं. 57/11 अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.रा. अधिनियम में निर्णय दिनांक 22.05.2018 को पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2018 की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

सलंग्न – निर्णय की प्रमाणित प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

***राजस्व अपील :– 57/11 अन्तर्गत धारा 75* RLR Act**

अनवान :–

अपीलाण्टगण :– 1.पनाराम 2.जोधाराम 3.भूगड़ा 4.भलाराम पि. पदमारम
5.सफूरी पत्नि पदमाराम 6.डामरा पुत्र तेजाराम
जाति भील, निवासी सैयद मौज अली का तला
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. ग्राम पंचायत गौहड़ का तला जरिये सरपंच
2.रामजी 3.पीरा पि. बिजला
जाति भील, निवासी सैयद मौज अली का तला
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

वकील अपीलाण्टगण :– श्री वीरमाराम धारासर

वकील उतरदातागणः– श्री फताराम गोदारा , श्री पवन धारीवाल

निर्णय

दिनांक 22.05.2018

अपीलाण्टगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. विरूद्ध उतरदातागण पेश किया। जिसका सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्टगण स्व. सामा पुत्र काछु के वंजश है। पूर्व पुरूष काछू की खातेदारी के खेत खसरा सं. 58 रकबा 75.03 बीघा मौजा सैयद मौज अली का तला में आयी हुई थी। उक्त जमीन का पर्चा वक्त सेटलमेन्ट काछू के नाम से जारी हुआ था तथा काछू का ही कब्जा काश्त था। काछू की फौतगी पर उसके एकमात्र जाईन्दा पुत्र सामा पुत्र काछू के नाम नामान्तरकरण खोला गया । सामा का ही जमीन पर कब्जा काश्त था। सन् 1974 में सामा के फौत होने पर सामा के वैध उतराधिकारी उनके पुत्र नाबालिग थे तथा अपने हक हकूक व अधिकारों की जानकारी नहीं थी। सामा के फौतगी का नामान्तरकरण उनके ग्रामवासियों द्वारा लगभग 5 माह पश्चात् भरा गया तथा नामान्तरकरण भरते समय सामा के वैध वारिशों के साथ बिजला पुत्र सीला का नाम कुपोष तरीके से अंकित कर दिया । बिजला सामा का वैध उतराधिकारी नहीं था , न ही वारिशान था।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार खातेदार सामा के देहान्त पर विरासत का नामान्तरकरण सं. 55 सामा के वैध वारिशान पनाराम, जोधाराम, भूगड़ा, भला, डामरा के पक्ष में खोला जाना चाहिए था परन्तु ऐसा न कर उतरदाता सं. 2 व 3 ने अपने दूरगामी हितों को मद्धेनजर रख विरासत का नामान्तरकरण सं. 55 में अपना नाम कुपोष तरीके से सम्मिलित करवा लिया। उतरदाता सं. 2 व 3 जाति से भील है तथा अपीलाण्ट के यहां आना जाना बना रहता था। अपीलाण्ट आज दिन तक यही समझते रहे कि पद सं. 2 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी पर अपीलाण्ट का हक हिस्सा है। परन्तु अर्सा 1 माह पूर्व अन्य खातेदारी भूमि का रेकर्ड लेकर जांच की तो पाया कि उक्त वादग्रस्त आराजी में अपीलाण्टगण के साथ उतरदाता सं0 2 व 3 का नाम भी अंकित है। अपीलाण्ट को नामान्तरकरण सं. 55 पर पारित उतरदाता सं. 1 के आदेश दिनांक 23.08.1974 से व्यथित होकर यह अपील पेश करनी पड़ी।

उतरदाता सं. 1 ने नामान्तरकरण आदेश पारित करने में भारी भूल की है। नामान्तरकरण आदेश पारित करने से पूर्व उतरदाता सं. 1 द्वारा स्व. सामा के प्रथम वर्ग के वारिसान की जांच नहीं की गई और न ही अपीलाण्टगण को सुनवाई का अवसर दिया गया। अतः पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल एवं धारा 8 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम तथा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सर्वथा प्रतिकूल होने अपीलाण्टगण के लिए शून्य व प्रभावहीन है। अतः अपीलाण्टगण ने अपील पेश कर निवेदन किया कि उतरदाता सं. 1 द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश 55 दिनांक 23.08.1974 निरस्त कर खसरा सं. 58 रकबा 75.03 बीघा मौजा सैयद मौज अली का तला के खातेदार मृतक सामा के विधिक वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण खाले जाने का आदेश फरमावे।

अपीलाण्टगण की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उतरदातागण सम्मन/नोटिस जारी किये गये। उतरदाता सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री फताराम गोदारा एवं उतरदाता सं. 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन धारीवाल ने वकालतनामा पेश किया। उतरदाता सं. 2 को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिये लेकिन जवाब पेश नहीं किया गया अतः उनका जवाब का अवसर बन्द किया गया। उतरदाता सं.3 की ओर जवाब पूर्व में पेश है जो शामिल पत्रावली किया गया। अपीलाण्टगण द्वारा लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में नकल चालू जमाबन्दी मौज सैयद मौज अली का तला के खसरा सं. 58 , नामान्तरकरण सं. 55, खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012 से 2031 व नकल जमाबन्दी संवत् 2030 से 2033 मौज सैयद मौज अली का तला छायाप्रति पेश की।

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प गौहड़ का तला में पेश हुई। अपीलाण्टगण एवं उतरदाता सं. 1 व 3 उप. हुए । उपस्थित पक्षकारान राजीनामा पेश किया। लोक अदालत / कोर्ट कैम्प में अपीलाण्ट पनाराम पुत्र सामाराम, उतरदाता सं. 2 पीरा पुत्र बीजला एवं सरपंच ग्राम पंचायत गौहड़ का तला , मनसुखराम पुत्र वाधाराम के बयान कलमबद्ध करवाये।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

पत्रावली का अध्ययन/अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वादग्रस्त के संबंध में स्व. सामा की फौतगी पर उसके प्रथम वर्ग के वारीसान पनाराम, जोधाराम, भूगड़ा, भला, डामरा के पक्ष में खोला जाना चाहिए था परन्तु ऐसा न कर उतरदाता सं. 2 व 3 ने अपने दूरगामी हितों को मद्धेनजर रख विरासत का नामान्तरकरण सं. 55 में अपना नाम कुपोष तरीके से सम्मिलित करवा लिया। उतरदाता सं. 1 ने नामान्तरकरण आदेश पारित करने में भारी भूल की है। नामान्तरकरण आदेश पारित करने से पूर्व उतरदाता सं. 1 द्वारा स्व. सामा के प्रथम वर्ग के वारिसान की जांच नहीं की गई और न ही अपीलाण्टगण को सुनवाई का अवसर दिया गया। अतः पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल एवं धारा 8 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम तथा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सर्वथा प्रतिकूल होने अपीलाण्टगण के लिए शून्य व प्रभावहीन है।

इस प्रकार न्यायालय के मतानुसार वादग्रस्त भूमि खेत खसरा सं. 58 रकबा 75.03 बीघा मौजा सैयद मौज अली का तला के संबंध में उतरदाता सं. 1 द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 55 दिनांक 23.08.1974 खारीज योग्य है। अतः अपीलाण्टगण की अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.रा. अधिनियम स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि खेत खसरा सं. 58 रकबा 75.03 बीघा मौजा सैयद मौज अली का तला के संबंध पारित नामान्तरकरण सं. 55 खारीज किया जाकर आज्ञा है कि स्व.सामा के विधिक वारिशान की सही जांच कर नये सिरे नामान्तकरण पारित किया जावे।

निर्णय न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/ कोर्ट कैम्प गौहड़ में दिनांक 22.05.2018 को मजमे आम में लिखकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । संख्या से कम हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन